


वार्षिक लेखा
ANNUAL ACCOUNTS

वर्ष 2023-2024
YEAR 2023-2024



सत्यमेव जयते

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, मुम्बई
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS,
MUMBAI

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, मुंबई के खातों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2024 तक महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (टीएमपी), मुंबई के संलग्न तुलन पत्र, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के तहत उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता तथा प्राप्तियां एवं भुगतान खाते का लेखापरीक्षा किया है। वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग (बजट प्रभाग) ने दिनांक 02 मई 2024 के पत्र द्वारा टीएमपी, मुंबई के खातों का लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को 2023-24 तक सौंपा। ये वित्तीय विवरण टीएमपी के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों, लेखाकरण मानकों और प्रकटीकरण मानदण्डों आदि के संबंध में लेखाकरण व्यवहार के संबंध में की गई टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं, आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से सूचित की जाती हैं।

3. हमने भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्य की जांच शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा उपयोग किए गए लेखाकरण सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारा लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करता है।

4. हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (i) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
- (ii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र, आय एवं व्यय खाता तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाता वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के लिए लेखा के एकसमान प्रारूप में तैयार किए गए हैं।
- (iii) हमारी राय में, जहां तक ऐसी बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखा के समान प्रारूप के तहत आवश्यक खातों की उचित बहियां तथा अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड टीएमपी द्वारा रखे गए हैं।

(iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. तुलन पत्र

वर्तमान परिसंपत्तिया, ऋण और अग्रिम

वेबसाइट के विकास के लिए अग्रिम भुगतान - ₹.61.31 लाख

टीएमपी ने अपने न्यायिक बोर्ड की वेबसाइट के विकास से संबंधित कार्य के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवा इंक (एनआईसीएसआई) के पैनल में शामिल वेंडर का चयन किया है। टीएमपी ने एनआईसीएसआई को 61.31 लाख रुपए की संपूर्ण अनुमानित राशि का भुगतान किया और इसे अग्रिम भुगतान के रूप में लेखाबद्ध किया गया। बाद में, एनआईसीएसआई द्वारा वेंडर को कार्य आदेश दिया गया था।

निविदा शर्तों के अनुसार, टीएमपी के अनुमोदन से, एनआईसीएसआई ने पहले और दूसरे लक्ष्य के पूरा होने पर वेंडर को क्रमश 4.16 लाख रुपए और 7.36 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया। इस प्रकार, इस राशि को पूंजीगत कार्य के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए थी और अग्रिमों को उस सीमा तक कम किया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप 'प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य' को कम दिखाया गया है और 'वेबसाइट के विकास के लिए अग्रिम भुगतान किए गए अग्रिम' विवरण को 11.52 लाख रुपए ज्यादा दिखाया गया है।

ख. सहायता अनुदान

वर्ष 2023-24 के दौरान टीएमपी द्वारा प्राप्त सहायता अनुदानों के प्रारंभिक जमाशेष, प्राप्ति और उपयोग के विवरण नीचे दिए गए हैं:

(रु. लाख में)				
विवरण	आरंभिक जमाशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान उपयोग	अंत जमाशेष (2+3-4)
1.	2.	3.	4.	5.
राजस्व अनुदान	130.40	910.34 (अनुदान के लिए 900 लाख रुपये और विविध प्राप्ति के लिए 1.87 लाख रुपये और एलएसपीसी के लिए 1.90 लाख रुपये और ब्याज आय के लिए 6.57 लाख रुपये शामिल हैं)	905.15	135.59

ग. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को अलग से लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्राधिकरण के ध्यान में लाया गया है।

- (v) पिछले अनुच्छेदों में हमारे अवलोकन के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र और आय तथा व्यय खाते बही खातों के अनुसार हैं।
- (vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण लेखाकरण नीतियों एवं खातों की टिप्पणियों के साथ पढ़े जाते हैं, और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों तथा अनुलग्नक-1 में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में आमतौर पर भारत में स्वीकार किए जाते हैं लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण:

- (क). जहां तक यह 31 मार्च 2024 तक टीएमपी के मामलों की स्थिति का तुलन पत्र से संबंध है; और

अनुलग्नक - I

1. आंतरिक लेखापरीक्षा

वर्ष 2023-24 के दौरान सनदी लेखाकार की एक फर्म द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा किया गया था।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

(i). आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को पर्याप्त नहीं पाया गया जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमी है क्योंकि भारत की समेकित निधि में अचल संपत्तियों की बिक्री से ब्याज और आय के परेषण के संबंध में 7 महीने तक की देरी है, जैसा कि जीएफआर 2017 के नियम 230 (8) में अपेक्षित है।

(राशि रु. में)

वर्ष	खातों को अंतिम रूप देने की तिथि	भारत की समेकित निधि में परेषित की जाने वाली ब्याज की राशि	अचल संपत्तियों की बिक्री की राशि जिसे भारत की समेकित निधि में परेषित किया जाना है	भारत की समेकित निधि में परेषण की तिथि
2021-22	30 जून 2022	735170	-	25 जनवरी 2023
2022-23	4 मई 2023	826013	35680	4 जनवरी 2024
कुल		1561183	35680	

3. अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 2023-24 के दौरान किया गया था।

4. वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

2023-24 के दौरान वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन किया गया था।

5. सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता

प्राधिकरण अविवादित सांविधिक देयताओं को जमा कराने में नियमित है।

निदेशक

स्थान: मुंबई

तिथि: 29 अक्टूबर 2024

अस्वीकरण : यदि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के हिन्दी अनुवाद में कोई विसंगति होगी तो अंग्रेजी में जारी रिपोर्ट मान्य होगी।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक लेखे
विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण		
1.	तुलन पत्रक	6
2.	आय एवं व्यय	7
3.	प्राप्ति और भुगतान लेखे	8
4.	अनुसूची 1 - कॉर्पस/पूजी निधि	9
	अनुसूची 2 - वर्तमान देयताएं और प्रावधान	
	अनुसूची 3 - आस्थगित सरकारी अनुदान	
5.	अनुसूची 4 - अचल परिसंपत्तियां अनुसूची	10
6.	अनुसूची 5 - वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	11
7.	अनुसूची 6 - अनुदान/सब्सिडियां	12
	अनुसूची 7 - अन्य आय	
	अनुसूची 8 - स्थापना व्यय	
8.	अनुसूची 9 - प्रशासनिक व्यय आदि	13
	अनुसूची 10 - बैंक प्रभार	
	अनुसूची 11 - पूर्व अवधि मर्दे	
9.	उप-अनुसूची क - देय वेतन और मजदूरी	14
	उप-अनुसूची ख - देय अन्य व्यय	
	उप-अनुसूची ग - विविध ऋणदाता	
10.	उप-अनुसूची घ - वेतन और मजदूरी	15
	उप-अनुसूची ङ - भत्ता और बोनस	
	उप-अनुसूची च - मरम्मत और रखरखाव	
	उप-अनुसूची छ - डाक व्यय, दूरभाष और संचार	
	उप-अनुसूची ज - प्रिंटिंग और स्टेशनरी	
	उप-अनुसूची झ - यात्रा और वाहन	
	उप-अनुसूची ञ - शुल्क और अंशदान	
	उप-अनुसूची ट - प्रोफेशनल प्रभार	
	उप-अनुसूची ठ - राजपत्र अधिसूचना में विज्ञापन प्रचार एवं व्यय	
	उप-अनुसूची ड - विविध व्यय	
	उप-अनुसूची ढ - पुस्तकें, समाचारपत्र और पत्रिकाएं	
	उप-अनुसूची ण - माल एवं सेवा कर (जीएसटी)	
11.	उप-अनुसूची त - पूर्व अवधि खाता के विवरण	16 - 27
12.	अनुसूची -12 - महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखाओं के लिए टिप्पणियां	28
13.	बैंक समाधान विवरण बचत बैंक खाता (आईओबी, फोर्ट, मुंबई)	29
14.	बैंक समाधान विवरण चालू खाता (एसबीआई, माझगांव, मुंबई)	30
टीएएमपी ईएल नकदीकरण तथा उपदान खाता		
15.	तुलन पत्र	31
16.	आय एवं व्यय	32
17.	प्राप्ति और भुगतान खाते	33
18.	बैंक समाधान विवरण (बचत बैंक खाता सं. 96077)	34
19.	सावधि जमाराशि के उपदान विवरण	35
टीएएमपी कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि न्यास खाता		
20.	तुलन पत्रक	36
21.	आय और व्यय	37
22.	प्राप्ति और भुगतान खाते	38
23.	बैंक समाधान विवरण (बचत बैंक खाता 93967)	39
24.	सावधि जमाराशि के सीपीएफ विवरण	40
25.	वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक लेखा और लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा	41

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

31 मार्च 2024 के अनुसार तुलन पत्रक




राशि रु. में


विवरण	अनुसूची	31.03.2024	31.03.2023
<u>कॉर्पस/पूंजी निधि और देयताएं</u>			
कॉर्पस/पूंजी निधि	1	69,72,982	72,15,651
आस्थगित सरकारी अनुदान	2	55,42,177	37,05,407
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	3	1,36,34,444	1,31,15,023
<u>जोड़</u>		2,61,49,603	2,40,36,081
<u>परिसंपत्तियां</u>			
अचल परिसंपत्तियां	4	55,42,177	37,05,407
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	5	2,06,07,426	2,03,30,674
<u>जोड़</u>		2,61,49,603	2,40,36,081

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं के लिए टिप्पणियां

12


उप निदेशक/आ.सं.अ


निदेशक (ज्यो.वै)


सदस्य (वित्त)

मुंबई, 28 जून 2024

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण



31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

राशि रु. में

विवरण	अनुसूची	31.03.2024	31.03.2023
आय:			
अनुदान/सब्सिडी	6	8,74,66,072	8,46,37,014
अन्य आय	7	2,14,775	6,199
जोड़ (क)		8,76,80,847	8,46,43,213
व्यय:			
स्थापना व्यय	8	4,98,23,366	4,45,35,843
अन्य प्रशासनिक व्यय	9	3,57,37,897	3,18,76,542
बैंक प्रभार	10	1,505	2,213
मूल्यहास	4	23,01,373	12,95,957
जोड़ (ख)		8,78,64,141	7,77,10,555
घटायें: पूर्व अवधि मर्दे (ग)	11	59,375	7,31,845
व्यय पर आय की अधिकता (क-ख-ग)		(2,42,669)	62,00,813
कॉपसे/पूजी निधि में ले जाया गया अधिशेष/(घाटा)		(2,42,669)	62,00,813
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां आकस्मिक देयताएं और लेखाओं के लिए टिप्पणियां	12		

राजेश
उप निदेशक/आ.सं.अ

शोभा
निदेशक (ज्यो.वें)

सुभा
सदस्य (वित्त)

मुंबई, 28 जून 2024

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण



31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान लेखा

राशि रु. में

प्राप्तियां	2023-24	2022-23	भुगतान	2023-24	2022-23
प्रारंभिक जमाशेष			व्यय		
हाथ में रोकड़	-	-	स्थापना व्यय	3,05,79,208	3,10,11,734
हाथ में स्टॉप और फ्रैंकिंग जमाशेष	67,241	47,238	प्रशासनिक व्यय	4,39,63,277	4,03,26,530
बचत और वर्तमान खाते में	1,30,40,023	1,28,77,436			
कैश कार्ड	75,000	-			
निवेश पर आय			किए गए निवेश और जमाशेषियां		
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से राशि	4,359	31,536	अचल परिसंपत्तियों में परिवर्धन	41,42,503	27,69,469
अंतरण			ईएल नकदीकरण निधि और उपदान निधि खाता में अंशदान	68,07,953	42,24,370
ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां	1,69,116	1,25,716	टीएएमपी कर्मचारी सीपीएफ न्यास में अंशदान	30,20,543	23,18,300
टीएएमपी कर्मचारी सीपीएफ न्यास से अंतरण	12,36,772	5,62,078	ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां	29,77,571	81,74,759
			अन्य सांविधिक भुगतान	1,29,600	84,694
अनुदान			अन्य भुगतान		
भारत सरकार वेतन एवं सामान्य	9,00,00,000	8,75,00,000	कार्ड भुगतान	1,80,625	1,23,851
			बैंक प्रभार	1,505	2,213
अन्य प्राप्तियां			अंत जमाशेष		
विविध प्राप्ति	18,913	14,353	हाथ में रोकड़	-	-
छुट्टी वेतन	2,09,870	-	हाथ में स्टॉप और फ्रैंकिंग जमाशेष	43,034	67,241
एसबी पर प्राप्त व्याज	6,56,979	8,26,013	बचत खाता/चालू खाता	1,35,59,444	1,30,40,023
अन्य प्राप्तियां	1,989	1,58,814	कैश कार्ड	75,000	-
जोड़	10,54,80,262	10,21,43,184	जोड़	10,54,80,262	10,21,43,184

रा.रमेश
उ.नि./आ. सं. अ

जोशी
निदेशक (ज्यो. वें)

काल
सदस्य (वित्त)

मुंबई, 28 जून 2024

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण



वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

राशि रु. में

अनुसूची - 1	उप अनुसूची	31.03.2024 को	31.03.2023 को
		जमाशेष	जमाशेष
कॉर्पोस/पूंजी निधि			
1 वर्ष की शुरुआत में जमाशेष		72,15,651	10,14,838
जोड़े/(घटायें): आय एवं व्यय खाते से अंतरित निवल आय / (व्यय) का जमाशेष		(2,42,669)	62,00,813
जोड़		69,72,982	72,15,651
अनुसूची - 2			
आस्थिगत सरकारी अनुदान			
1 कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार ओपी डब्ल्यूडीवी		37,05,407	22,62,530
2 जोड़ें: प्राप्त अनुदान से खरीदी गई परिसंपत्ति		41,42,503	27,69,469
3 घटायें: बेची गई परिसंपत्तियां		4,359	900
4 घटायें: वर्ष के लिए मूल्यहास		23,01,373	12,95,957
5 घटायें: एफवाई 2021-22 के लिए मूल्यहास समायोजन		-	29,735
जोड़		55,42,177	37,05,407
अनुसूची - 3			
विविध ऋणदाता एवं अन्य			
1 देय वेतन और मजदूरी	क	3,61,386	3,50,147
2 देय अन्य व्यय	ख	22,65,985	25,22,648
3 देय लेखापरीक्षा शुल्क		2,80,000	2,80,000
4 विविध ऋणदाता	ग	33,35,335	32,67,647
5 अव्ययित अनुदान जमाशेष		73,91,738	66,94,580
जोड़		1,36,34,444	1,31,15,023

र. रमेश
उप निदेशक/आ.सं.अ

मोहि
निदेशक (ज्यो.वें)

काल
सदस्य (वित्त)

मुंबई, 28 जून 2024

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण



वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

अनुसूची-4

अचल परिसंपत्तियां 2023-24

क्र.सं.	परिसंपत्तियों का मूल्यहास	सकल प्रखंड				मूल्यहास					निवल प्रखंड	
		1.04.2023 को सकल प्रखंड	2023-24 के दौरान परिवर्धन	2023-24 के दौरान कटौती	31.03.24 को सकल प्रखंड	1.04.2023 को मूल्यहास	एफवाई 2023-24 के लिए मूल्यहास	निपटान पर मूल्यहास	वर्ष 2023-24 के लिए कुल मूल्यहास	31.03.2024 को संचयी मूल्यहास	31.03.2024 को निवल प्रखंड	31.03.2023 को निवल प्रखंड
		क	ख	ग	घ=क+ख-ग	इ	च	छ	ज=च	झ=इ+च-छ	त्र=घ-झ	ट=क-इ
1	फर्नीचर और जुड़नार	1,23,30,100	10,27,598	-	1,33,57,698	1,12,01,474	2,27,213	-	2,27,213	1,14,28,687	19,29,011	11,28,626
2	कार्यालय उपकरण	63,79,695	9,55,919	-	73,35,614	46,26,781	9,62,502	-	9,62,502	55,89,283	17,46,331	17,52,914
3	कंप्यूटर	63,52,722	21,58,986	87,172	84,24,536	55,28,855	11,11,659	82,813	11,11,659	65,57,701	18,66,835	8,23,867
4	वेबसाइट डेवलपमेंट	16,74,932	-	-	16,74,932	16,74,932	-	-	-	16,74,932	-	-
	जोड़	2,67,37,449	41,42,503	87,172	3,07,92,780	2,30,32,042	23,01,373	82,813	23,01,373	2,52,50,602	55,42,177	37,05,407
	पिछला वर्ष	2,39,85,980	27,69,469	18,000	2,67,37,449	2,17,23,450	13,25,692	17,100	13,08,592	2,30,32,042	37,05,407	22,62,530

रा.रमेश
उप निदेशक/आ.सं.अ

श्री. शोभा
निदेशक (ज्यो.वै)

बी.ल.
सदस्य (वित्त)

मुंबई, 28 जून 2024

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण



वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

राशि रु. में

अनुसूची-5	31.03.2024		31.03.2023	
	को जमाशेष		को जमाशेष	
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम				
ए वर्तमान परिसंपत्तियां				
1 विविध ऋणी				
क) छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-	-	-
ख) अन्य	-	-	-	-
2 हाथ में रोकड शेष	-	-	-	-
3 डाकव्यय और फ्रैंकिंग जमाशेष	43,034	43,034	67,241	67,241
4 बैंक जमाशेष				
क) अनुसूचित बैंकों में				
i) इंडियन ओवरसीज बैंक	1,34,42,692		1,30,19,438	
ii) भारतीय स्टेट बैंक	1,16,752		20,585	
iii) कैश कार्ड जमाशेष	75,000	1,36,34,444	75,000	1,31,15,023
5 अंत स्टॉक - उपभोज्य और स्टेशनरी	3,02,613	3,02,613	4,31,840	4,31,840
जोड़ (क)		1,39,80,091		1,36,14,104
बी ऋण और अग्रिम				
1 ऋण				
क) स्टाफ	17,873	17,873	1,24,015	1,24,015
2 अग्रिम और नकद या वस्तु में वसूलीयोग्य अन्य राशियां या प्राप्त होने वाला मूल्य				
क) जमानत जमाराशि	1,90,213		1,99,579	
ख) वेबसाइट के डेवलपमेंट के लिए भुगतान किया गया अग्रिम	61,31,197		61,31,197	
ग) ऋणदाताओं को भुगतान अग्रिम	1,21,862		1,68,063	
घ) पूर्व भुगतान व्यय	1,66,190	66,09,462	93,716	65,92,555
जोड़ (ख)		66,27,335		67,16,570
जोड़ (क + ख)		2,06,07,426		2,03,30,674

रामेश
उप निदेशक/आ.सं.अ

ज्योति
निदेशक (ज्यो.वै)

काला
सदस्य (वित्त)

मुंबई, 28 जून 2024

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण



वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

राशि रु. में

अनुसूची-6	उप-अनुसूची	31.03.2024	31.03.2023
अनुदान/सब्सिडियां (अवसूलीयोग्य अनुदान और प्राप्त सब्सिडियां)			
1 केंद्रीय सरकार से अनुदान - सामान्य		4,00,00,000	3,75,00,000
2 केंद्रीय सरकार से अनुदान - वेतन		5,00,00,000	5,00,00,000
		9,00,00,000	8,75,00,000
घटायें: अचल परिसंपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग किया गया अनुदान		41,42,503	27,69,469
जोड़ें: बेची गई परिसंपत्तियां		8,58,57,498	8,47,30,531
		4,359	900
जोड़ें: आस्थगित सरकारी अनुदान के लिए प्रावधान वर्तमान वर्ष		23,01,373	12,95,957
पिछला वर्ष		-	29,735
		23,01,373	13,25,692
जोड़ें: पिछले वर्ष का अव्ययित अनुदान जमाशेष		66,94,580	52,74,471
घटायें: वर्तमान वर्ष का अव्ययित अनुदान जमाशेष		73,91,738	66,94,580
	जोड़	8,74,66,072	8,46,37,014
अनुसूची-7			
अन्य आय			
1 अचल परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ		-	-
2 अधिक प्रावधान रिटन बैंक		-	-
3 विविध प्राप्ति		2,916	6,199
4 प्राप्त छुट्टी वेतन अंशदान		2,09,870	-
5 एलटीसी अग्रिम पर प्राप्त व्याज		1,989	-
	जोड़	2,14,775	6,199
अनुसूची-8			
स्थापना व्यय			
1 वेतन और मजदूरी	घ	3,58,81,125	3,33,80,552
2 भत्ते और बोनस	ड	1,38,160	1,31,252
3 ट्यूशन शुल्क		7,07,703	4,59,000
4 मानदेय		7,52,099	6,16,544
5 उपदान निधि में अंशदान		26,32,712	12,05,502
6 एलएसपीसी		8,41,920	4,50,000
7 छुट्टी नकदीकरण निधि में अंशदान		29,66,928	25,24,415
8 चिकित्सा व्यय		22,39,848	19,79,404
9 छुट्टी यात्रा रियायत		1,98,264	6,16,356
10 एनपीएस नियोक्ता अंशदान		18,41,399	17,94,110
11 सीपीएफ नियोक्ता अंशदान		16,23,208	13,78,708
	जोड़	4,98,23,366	4,45,35,843

रा.प्र.प्र.श.
उप निदेशक/आ.सं.अ

नियोजित
निदेशक (ज्यो.वें)

सदस्य (वित्त)

मुंबई, 28 जून 2024

12

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण



वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

राशि रु. में

<u>अनुसूची- 9</u>		उप-अनुसूची	31.03.2024	31.03.2023
<u>अन्य प्रशासनिक व्यय आदि</u>				
1	बिजली व्यय		6,06,828	5,42,599
2	मरम्मतें और रखरखाव	च	25,93,526	6,98,600
3	किराया, दरें और कर		1,99,32,564	1,91,55,575
4	डाकव्यय, टेलीफोन और संचार	छ	14,16,195	5,66,296
5	प्रिंटिंग और स्टेशनरी	ज	2,32,450	3,83,791
6	यात्रा और वाहन व्यय	झ	10,37,030	8,72,041
7	शुल्क और अंशदान व्यय	ञ	4,95,064	3,77,206
8	लेखापरीक्षा शुल्क		2,81,700	5,10,800
9	आतिथ्य व्यय		2,21,384	1,73,160
10	प्रोफेशनल प्रभार	ट	6,75,861	14,75,732
11	विज्ञापन और प्रचार	ठ	53,426	79,037
12	विविध	ड	2,93,163	3,72,579
13	पुस्तकें, समाचारपत्र और पत्रिकाएं	ढ	1,51,143	1,37,410
14	एनपीएस सेवा प्रभार		2,303	2,430
15	स्टाफ क्वार्टरों के लिए लाइसेंस शुल्क		20,74,714	22,03,017
16	मैनपावर आपूर्ति		53,73,704	40,90,529
17	प्रशिक्षण व्यय		82,978	43,600
18	जीएसटी	ण	1,29,600	84,694
19	जल प्रभार		84,264	1,07,446
	जोड़		3,57,37,897	3,18,76,542
<u>अनुसूची-10</u>				
<u>बैंक प्रभार</u>				
1	बैंक प्रभार		1,505	2,213
	जोड़		1,505	2,213
<u>अनुसूची-11</u>				
<u>पूर्व अवधि मर्दे</u>				
1	अन्य पूर्व अवधि मर्दे और आपवादिक मर्दे	त	59,375	7,31,845
	जोड़		59,375	7,31,845

रा.रमेश
उप निदेशक/आ.सं.अ

ज्योती
निदेशक (ज्यो.वें)

काला
सदस्य (वित्त)

मुंबई, 28 जून 2024

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण



वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए वित्तीय विवरणों की उप-अनुसूचियां

		राशि रु. में	
		2023-24	2022-23
क	देय वेतन और मजदूरी		
1	देय बोनस	1,50,000	1,50,000
2	देय वेतन बकाया	2,11,386	2,00,147
	जोड़	3,61,386	3,50,147
ख	देय अन्य व्यय		
1	देय वाहन व्यय	1,637	6,500
2	देय बिजली व्यय	49,037	44,000
3	देय एलएसपीसी व्यय	5,88,363	4,50,000
4	देय चिकित्सा व्यय	47,022	83,435
5	देय समाचारपत्र व्यय	19,800	19,800
6	एनपीएस/सीपीएफ/सीपीएफ वो. कर्मचारी अंशदान	2,79,848	2,86,785
7	देय यात्रा व्यय	18,525	-
8	शुल्क और कर	3,67,724	6,84,662
9	देय टेलीफोन व्यय	25,834	17,995
10	देय ट्यूशन शुल्क	6,20,703	4,05,000
11	देय लाइसेंस शुल्क	1,84,626	1,91,861
12	देय प्रतिनियुक्त का सीपीएफ/जीपीएफ अंशदान	5,120	180
13	देय कैश कार्ड व्यय	16,494	24,932
14	देय एनपीएस सेवा प्रभार	538	551
15	देय जल प्रभार	12,984	19,747
16	टीडीएस मांग के लिए प्रावधान	27,730	2,87,200
	जोड़	22,65,985	25,22,648
ग	विविध ऋणदाता		
1	परामर्शदाता	4,88,240	4,10,840
2	मैनपावर परामर्श फर्म	4,10,152	3,79,604
3	अन्य ऋणदाता	16,78,967	15,85,510
4	जमानत जमाराशियां	30,000	30,000
5	पीएओ (नियंत्रण), पोत परिवहन मंत्रालय		
	---> व्याज	6,56,979	8,26,013
	---> अन्य अर्जन	70,997	35,680
	जोड़	33,35,335	32,67,647

रा. रमेश
उप निदेशक/आ.सं.अ

ज्योति
निदेशक (ज्यो.वें)

काल
सदस्य (वित्त)

मुंबई, 28 जून 2024

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण



वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरणों के लिए उप अनुसूचियां

राशि रु. में

उप अनुसूची		2023-24	2022-23
घ	वेतन और मजदूरी		
	वेतन और भत्ता	3,54,65,899	3,30,15,341
	वेतन बकाया राशियां	4,15,226	3,65,211
	जोड़	3,58,81,125	3,33,80,552
इ	भत्ता और बोनस		
	बोनस	1,38,160	1,31,252
	जोड़	1,38,160	1,31,252
च	मरम्मत और रखरखाव		
	वार्षिक रखरखाव प्रभार	4,11,813	-
	कार्यालय उपकरण	1,98,167	4,69,666
	सिविल रखरखाव और अन्य	19,83,546	2,28,934
	जोड़	25,93,526	6,98,600
छ	डाक व्यय, दूरभाष और संचार		
	डाक व्यय	42,173	55,353
	दूरभाष	13,74,022	5,10,943
	जोड़	14,16,195	5,66,296
ज	प्रिंटिंग और स्टेशनरी		
	फोटोकॉपी	27,472	48,082
	प्रिंटिंग	-	8,496
	स्टेशनरी	2,04,978	3,27,213
	जोड़	2,32,450	3,83,791
झ	यात्रा और वाहन		
	यात्रा	3,96,809	2,85,233
	वाहन	45,428	58,796
	टैक्सी प्रभार	5,94,794	5,28,012
	जोड़	10,37,030	8,72,041
त्र	शुल्क और अंशदान		
	अंशदान	3,304	125
	सदस्यता	4,91,760	3,77,081
	जोड़	4,95,064	3,77,206
ट	प्रोफेशनल प्रभार		
	प्रोफेशनल शुल्क	6,75,861	14,75,732
	जोड़	6,75,861	14,75,732
ठ	विज्ञापन और प्रचार		
	विज्ञापन	53,426	79,037
	जोड़	53,426	79,037
ड	विविध व्यय		
	विविध व्यय	1,55,715	1,90,027
	हिंदी पखवाड़ा व्यय	63,807	81,414
	गतिविधि व्यय	58,641	-
	फाइलों की स्टिचिंग और पुनः-बाइंडिंग	-	86,138
	लेवरीज/यूनीफॉर्म व्यय	15,000	15,000
	जोड़	2,93,163	3,72,579
ढ	पुस्तकें, समाचारपत्र और पत्रिकाएं		
	पुस्तकें और पत्रिकाएं	32,412	22,065
	समाचारपत्र	1,18,731	1,15,345
	जोड़	1,51,143	1,37,410
ण	माल और सेवा कर (जीएसटी)		
	जीएसटी पर आरसीएम	1,29,600	84,694
	जोड़	1,29,600	84,694

रा. रमेश
उप निदेशक/आ.स.अ

ज्योति
निदेशक (ज्यो.वें)

वी.ल.
सदस्य (वित्त)

मुंबई, 28 जून 2024

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरणों की उप-अनुसूचियां

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पूर्व अर्वाधि खाते के विवरण



क्र.सं.	बिल सं.	तिथि	विवरण	Total	राशि रु. में		
					व्यय के शीर्ष	वेतन बकाया	टीडीएस डिमांड
1	SAL/IOB/SB/78	7-Sep-23	एमओपीए द्वारा 01.07.2017 से 14.12.2018 तक नए वेतन संशोधन के लिए श्रीमती राजश्री धर्णे के संबंध में वेतन बकाया।	2,74,676	2,74,676	-	-
2	SAL/IOB/SB/166	31-Mar-24	वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक टीडीएस डिमांड के लिए बुक की गई अस्थाई प्रविष्टि को अब रिवर्स कर दिया गया है।	(2,15,000)	-	(2,15,000)	-
3	SAL/IOB/SB/167	31-Mar-24	टीडीएस डिमांड के लिए वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2010-11 तक किया गया प्रावधान।	27,730	-	27,730	-
4	SAL/IOB/SB/168	31-Mar-24	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एफए एंड सीएओ, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के लिए एलएसपीसी व्ययों के लिए किए गए प्रावधान को अब रिवर्स कर दिया गया है।	(28,031)	-	-	(28,031)
जोड़				59,375	2,74,676	(1,87,270)	(28,031)

रामेश
उ.नि./आ.सं.अ

मुंबई, 28 जून 2024

शोभा
निदेशक (ज्यो.वें)

काल
सदस्य (वित्त)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

लेखाओं के लिए महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और टिप्पणियां

(क) प्रस्तावना

उक्त अधिनियम में अध्याय V-A को सम्मिलित करके महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में संशोधन के माध्यम से 10 अप्रैल, 1997 से महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्राधिकरण का गठन देश के सभी 11 महापत्तनों और वहां प्रचालित बीओटी टर्मिनलों पर प्रशुल्क को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ किया गया है।

महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021, 3 नवंबर 2021 से लागू हो गया है। परिणामस्वरूप, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 को निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण अब महापत्तनों या वहां प्रचालनरत निजी प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए प्रशुल्क निर्धारित नहीं करता है।

महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 54(1) के तहत पहले परंतुक के अनुसार, न्यायनिर्णयन बोर्ड के गठन तक, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण उक्त अधिनियम के तहत न्यायिक बोर्ड के कार्यों का निर्वहन करेगा और न्यायनिर्णयन बोर्ड के गठन के तुरंत बाद अस्तित्व में नहीं रहेगा। केंद्र सरकार को अभी तक महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 54 (1) के तहत यथा निर्धारित एक न्यायनिर्णयन बोर्ड का गठन करना है। इस प्रकार, आज की तिथि में टीएमपी न्यायनिर्णयन बोर्ड के कार्यों का निर्वहन कर रहा है। महापत्तन न्यायिक बोर्ड नियम, 2023 को 17 जनवरी 2023 को अधिसूचित किया गया है और उक्त नियम उक्त तिथि से लागू हो गए हैं।

(ख) महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

(i). लेखा ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए जाते हैं और सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप होते हैं।

(ii). राजस्व मान्यता:

सभी व्ययों का लेखा-जोखा उपार्जन आधार पर और अनुदान प्राप्ति आधार पर दिया जाता है। प्राधिकरण अपने व्यय को पूरा करने के लिए अपनी आय/राजस्व सृजित नहीं करता है। प्राधिकरण का संपूर्ण व्यय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा प्रत्येक तिमाही में जारी सहायता अनुदान से पूरा किया जाता है।

(iii). लेखा बही:

प्राधिकरण प्राप्ति और संवितरण आधार पर लेखाकरण की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर बही-खातों का रखरखाव कर रहा है। तैयार किए गए अंतिम लेखाओं में लेखाकरण की व्यापारिक

रा.र.मेश.

प्रणाली के आधार पर प्राप्त और भुगतान खाता, आय और व्यय खाता तथा तुलन पत्र शामिल हैं।

(iv). सेवानिवृत्ति लाभ योजना:

(क). (i). अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) योजना प्राधिकरण के उन नियमित कर्मचारियों के लिए लागू है जो 01 जनवरी 2004 से पहले टीएएमपी की सेवा में शामिल हुए हैं। इस योजना को टीएएमपी कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि के माध्यम से आंतरिक रूप से प्रबंधित किया जाता है। सीपीएफ खाते के अलग-अलग बही रखे जाते हैं।

(ii). टीएएमपी के कर्मचारियों के संबंध में, मासिक भविष्य निधि अंशदान बचत बैंक खाते में रखे जाते हैं। सीपीएफ खाते में संचयनों को समय-समय पर राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा राशियों में निवेश किया जाता है। निवेश पर अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं है, का लेखा-जोखा उपार्जन आधार पर खातों में रखा जाता है।

प्राधिकरण की सेवा में सभी प्रतिनियुक्तकर्ताओं के संबंध में, प्रतिनियुक्तकर्ताओं की भविष्य निधि के मासिक अंशदान नियमित रूप से उनके तत्संबंधित मूल विभागों को भेजे जाते हैं।

(iii). 01 मार्च 2023 से 28 फरवरी 2024 तक की अवधि के लिए सीपीएफ जमाशेष पर 7.1% की दर से ब्याज प्रदान किया गया है। सावधि जमा से प्राप्त औसत ब्याज लगभग 6.31% प्रतिवर्ष है।

(ख). नई पेंशन योजना (एनपीएस) टीएएमपी के नियमित कर्मचारियों के संबंध में लागू है जो 01 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में कार्यग्रहण किया है। कर्मचारियों के मासिक अंशदान और 14% की दर से नियोक्ता अंशदान तत्संबंधित कर्मचारियों के पीआरएएन नंबर में वर्ष के दौरान एनएसडीएल में नियमित रूप से जमा किए गए हैं।

(v). उपदान और छुट्टी नकदीकरण:

टीएएमपी के कर्मचारियों की अधिवर्षिता या त्यागपत्र के समय अर्जित छुट्टी नकदीकरण और उपदान की अदायगी करने में समर्थ होने के लिए, एक अलग टीएएमपी कर्मचारी ईएल नकदीकरण और उपदान निधि व्यवस्थित की गई है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, वर्ष के अंत में प्रत्येक निधि शेष राशि में वार्षिक प्रेषण किया जाता है ताकि प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार देयता को दर्शाया जा सके। निधियों का निवेश राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमाओं में किया जाता है। निवेश पर अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं है, का हिसाब उपार्जन आधार पर किया जाता है। अर्जित छुट्टी नकदीकरण और उपदान निधि के लिए अलग-अलग लेखा-बही व्यवस्थित किए जाते हैं।

(vi). अचल परिसंपत्तियां

- (क). अचल परिसंपत्तियां लागत घटाव संचयित मूल्यहास पर उल्लिखित किए गए हैं। परिसंपत्तियों की लागत में निर्माण अवधि के दौरान प्रोद्भूत अन्य आकस्मिक व्यय शामिल हैं या जो उनकी स्थापना के लिए आकस्मिक हैं।
- (ख). अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची // में निर्धारित इसके उपयोगी जीवनकाल में लिखित मूल्य कार्यपद्धति पर प्रदान किया जाता है।
- (ग). वर्ष 2023-24 के लिए मूल्यहास निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

- (vii). (क). सरकारी अनुदानों का लेखाकरण लेखा मानक-12 का पालन करते हुए किया गया है। तदनुसार, मूल्यहासीय परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर आय तथा व्यय विवरण में मान्यता प्राप्त है। आय के लिए ऐसा आबंटन उन अवधियों और अनुपातों में किया जाता है जिसमें संबंधित परिसंपत्तियों पर मूल्यहास प्रभारित किया जाता है। परिसंपत्तियों का तर्कसंगत उपयोगी जीवनकाल कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची // में यथा निर्धारित माना जाता है।
- (ख). आस्थगित सरकारी अनुदान का प्रकटन तुलनपत्र में किया जाता है जब तक कि आय और व्यय विवरण में इसका प्रभाजन नहीं होता है।
- (ग). राजस्व से संबंधित अनुदानों को "अनुदान/सब्सिडी" शीर्ष के तहत आय और व्यय विवरण में क्रेडिट के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है।
- (घ). टीएमपी को किसी भी "विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों" की खरीद के लिए अलग से अनुदान प्राप्त नहीं होता है। परिसंपत्तियां वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान से प्रत्येक वर्ष खरीदी जाती हैं।

आस्थगित सरकारी अनुदान अनुसूची के अंतर्गत, अचल परिसंपत्ति की खरीद के लिए उपयोग किए गए अनुदान की राशि, वर्ष के दौरान बेची गई परिसंपत्तियों का मूल्य और वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों पर प्रभारित मूल्यहास को अलग से दिखाया गया है।

इसके अलावा, अचल संपत्तियों की खरीद से संबंधित सरकारी अनुदान, वर्ष के दौरान बेची गई परिसंपत्तियों का मूल्य और आस्थगित सरकारी अनुदान के प्रावधान को आस्थगित सरकारी अनुदान के प्रावधान के निवल समेकित आंकड़े को दर्शाने की बजाय अनुदान/सब्सिडियां अनुसूची में अलग से दर्शाये जा रहे हैं।

(viii). अंतिम स्टॉक:

अंतिम स्टॉक में उपभोग्य मदों जैसे स्टेशनरी मदें, सेनिटरी मदें, क्रांकरी मदें और अन्य का मूल्य शामिल होता है। 31 मार्च 2024 तक उक्त मदों के अंतिम स्टॉक का मूल्य एफआईएफओ आधार पर लागत पर मूल्यांकित गया है जो वित्तीय विवरणों में परिलक्षित होता है।

(ग) लेखाओं पर टिप्पणियां:

- (i). प्राधिकरण का संपूर्ण व्यय गैर-योजना स्कीम के अंतर्गत पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) में भारत सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान (जीआईए) से पूरा किया जाता है। इन अनुदानों का उपयोग प्राधिकरण के वेतन व्यय और प्रशासनिक तथा स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है।
- (ii). पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) द्वारा जीआईए (वेतन) और जीआईए (सामान्य) शीर्ष के तहत क्रमशः वेतन शीर्ष और अन्य व्यय के तहत बुक किए गए व्यय को पूरा करने के लिए सहायता-अनुदान (जीआईए) जारी किया जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान, प्राधिकरण को कुल 9,00,00,000/- रुपये प्राप्त हुए, जिनमें से 5,00,00,000/- रुपये जीआईए (वेतन) के लिए और 4,00,00,000/- रुपये जीआईए (सामान्य) के लिए प्राप्त हुए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त शुल्क को विविध प्राप्तियों के रूप में दिखाया गया है।
- (iii). 1 अप्रैल, 2023 को अनुदान की प्रारंभिक शेष राशि 1.31 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2023-24 के दौरान, सरकार ने 9.00 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया। अन्य आय 0.01 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2023-24 के दौरान 8.96 करोड़ रुपये के वेतन और अन्य प्रशासनिक तथा स्थापना व्यय किए गए हैं। 31 मार्च, 2024 को हाथ में अनुदान की शेष राशि 1.36 करोड़ रुपये थी। इस शेष राशि में इंडियन ओवरसीज बैंक में 1,34,42,692/- रुपये, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1,16,752/- रुपये और कैश कार्ड शेष राशि में 75,000 रुपये शामिल हैं।
- (iv). लेखा मानक 12 - सरकारी अनुदानों के लिए लेखाकरण के अनुसार, सरकारी अनुदानों को संबंधित लागतों के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधि में व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियम के नियम 230(7) के अनुसार, जब उसी प्रयोजन के लिए उसी संस्थान या संगठन को आवर्ती सहायता अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं, तो अनुवर्ती अनुदान को मंजूरी देते समय पिछले अनुदान की अव्ययित शेष राशि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अनुदान संचयी प्रकृति के होते हैं और वर्ष के अंत में अव्ययित शेष राशि की वापसी के लिए किसी बाध्यता/निर्धारण के बिना टीएएमपी के वेतन और सामान्य व्यय को पूरा करने के लिए मंजूर किए जाते हैं। अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुदान मांगते समय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष अव्ययित अनुदान को ध्यान में रखा जाता है। पिछले वर्षों में प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है।

वर्ष के अंत में उपलब्ध अव्ययित शेष राशि (31 मार्च, 2024 तक बकाया देयता को पूरा करने के लिए शेष राशि निर्धारित करने के बाद) 0.74 करोड़ रुपये तक को तुलन पत्र के "देयताएं" साइड के तहत "अव्ययित सहायता अनुदान" के रूप में दिखाया गया है। परिणामस्वरूप, सहायता अनुदान को आय और व्यय खाते के तहत "अनुदान/सब्सिडी" में केवल 8.26 करोड़ रुपये (9.00 करोड़ - 0.74 करोड़ रुपये = 8.26 करोड़ रुपये) की मान्यता दी गई है।

(v). (क). प्राधिकरण ने एमबीपीए परिसर पर कब्जे के संबंध में एमबीपीए के साथ एक लीव और लाइसेंस समझौता किया था। 2002 से 2009 की अवधि के लिए परिसरों के किराए की बकाया राशियों के कारण एमबीपीए द्वारा 6.19 करोड़ रुपये की राशि का दावा किया गया है। प्राधिकरण ने एमबीपीए की मांग को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया है कि इस मामले पर कोई देनदारी नहीं है। इस स्थिति से एमबीपीए को अवगत करा दिया गया है। उसके बाद हमें एमबीपीए से इस संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख). एमबीपीए द्वारा दिनांक 31.10.2023 और 30.11.2023 के डिमांड नोटिस के माध्यम से क्रमशः 01 अक्टूबर 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक और 01 नवंबर 2023 से 31 नवंबर 2023 तक की अवधि के लिए किराए की बकाया राशि के कारण 2.65 करोड़ रुपये और 2.63 करोड़ रुपये की राशि का दावा किया गया है। अपने दावों के समर्थन में गणनाओं और प्रासंगिक सहायक दस्तावेज प्रदान करने के लिए एमबीपीए को बार-बार याद दिलाने के बावजूद, हमारे स्तर पर सत्यापन और सुलह के लिए, हमें अभी तक एमबीपीए से कोई विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग). प्राधिकरण ने 28.11.2019 से 27.11.2024 तक 60 महीने की अवधि के लिए एमबीपीए परिसर के कब्जे के संबंध में एमबीपीए के साथ लीव और लाइसेंस समझौते का नवीनीकरण किया है।

(vi). (क). सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 230 (8) के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान एमओएस द्वारा जारी जीआईए के मुकाबले टीएएमपी द्वारा अर्जित 6,56,979/- रुपये का ब्याज वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की समेकित निधि में प्रेषण के लिए अलग-से निर्धारित किया गया है।

(ख). इसी प्रकार, सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 230 (8) के अनुसार, वर्ष के दौरान टीएएमपी द्वारा अर्जित 70,997/- रुपये की अन्य आय (स्क्रेप की बिक्री और विविध प्राप्तियां) को वर्ष 2024-25 के दौरान भारत की समेकित निधि में प्रेषण के लिए अलग से निर्धारित किया गया है।

(vii). कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित दरों पर विचार करते हुए परिसंपत्ति 'वेबसाइट विकास' का पूरी तरह से मूल्यहास कर दिया गया है। इस प्रकार, वेबसाइट विकास का अवशिष्ट मूल्य, एक अमूर्त संपत्ति होने के नाते 'शून्य' के रूप में दर्शाया गया है, हालांकि वेबसाइट कार्यात्मक है।

रा.र.येश

- (viii). समझा जाता है कि डीएवीपी की वेबसाइट के अनुसार 31.03.2024 तक विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के पास शेष राशि उपलब्ध है। वर्ष 2023-24 के दौरान विज्ञापन के लिए किए गए व्यय को डीएवीपी वेबसाइट में प्रदर्शित राशि से समायोजित किया गया था और वित्तीय वर्ष 2023-24 में तुलन पत्र की अनुसूची 5 (चालू संपत्तियां) के अंतर्गत 1,14,637/- रुपये की शेष राशि दिखाई गई है।
- (ix). महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण ने अधिनिर्णयन बोर्ड की वेबसाइट के डिजाइन और विकास, होस्टिंग तथा अनुरक्षण के लिए 61,31,197/- रुपये की राशि पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (एनआईसीएसआई) को कार्य आदेश प्रदान किया है। संविदा की शर्तों के अनुसार, एनआईसीएसआई को अग्रिम के रूप में संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है। इस संबंध में कार्य प्रक्रियाधीन है, और इस प्रकार, एनआईसीएसआई को भुगतान की गई राशि को वर्ष 2023-24 के दौरान अग्रिम के रूप में दिखाया गया है।
- (x). वित्तीय वर्ष 2022-23 में आयकर विभाग से वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2021-22 से संबंधित टीडीएस/टीसीएस मांग की सूचना प्राप्त हुई थी। वर्ष 2012-13 से 2021-22 की मांग को सुधार विवरण दाखिल करके और जहां भी आवश्यक हो, भुगतान करके शून्य/मंजूरी दे दी गई है। जहां तक वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक की अवधि का संबंध है, यद्यपि भुगतान कर दिए गए हैं, कुछ तकनीकी कारणों से उक्त भुगतानों को टीडीएस पोर्टल में टैग नहीं किया जा सका। समस्या को सुलझाने और भुगतानों को टैग करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
- (xi). मुंबई बोर्ड पोर्ट अथॉरिटी (एमबीपीए) ने सितंबर 2005 से नवंबर 2021 तक की अवधि के लिए टीएमएमपी द्वारा एमबीपीए को 7,81,020.99/- रुपये की देय राशि के बारे में सूचित किया था। प्राधिकरण ने एमबीपीए की मांग को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया था कि टीएमएमपी द्वारा एमबीपीए को समय पर भुगतान किए जाने के कारण इस मामले पर कोई देनदारी नहीं है। इस संबंध में, वर्ष 2005 से 2022 तक टीएमएमपी द्वारा एमबीपीए को भुगतान की गई राशि का विवरण एमबीपीए के साथ साझा किया गया था और इस मामले पर चर्चा करने के लिए एमबीपीए अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की गई थीं। एमबीपीए की ओर से मामले की जांच की जा रही है। टीएमएमपी को अभी तक इस संबंध में एमबीपीए से कोई सूचना नहीं मिली है।
- (xii). टीएमएमपी कर्मचारी ईएल नकदीकरण और उपदान निधि से संबंधित लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए अलग-अलग प्राप्तियां और भुगतान खाते, आय और व्यय खाता तथा तुलनपत्र तैयार किए गए हैं।

टीएमएमपी के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र के समय अर्जित छुट्टी नकदीकरण और उपदान का भुगतान करने में सक्षम होने के लिए, टीएमएमपी द्वारा एक अलग टीएमएमपी कर्मचारी ईएल नकदीकरण और उपदान निधि व्यवस्थित की गई है।

रा.रमेश

- (xiii). प्राधिकरण उपदान और ईएल के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक की मुंबई शाखा में एक अलग बैंक खाता व्यवस्थित किया जा रहा है। निधि को राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि जमा में निवेश किया जाता है।
- (xiv). अर्जित ब्याज अर्थात निवेश पर अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं है, उपार्जन आधार पर खातों में लेखाकरण किया जाता है। अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान लाभ में सुधार या कटौती या निपटान जैसी कोई विशेष घटनाएं नहीं होती हैं।
- (xv). प्राधिकरण ने 31 मार्च 2024 तक अर्जित छुट्टी और उपदान के अपने परिभाषित लाभ दायित्व का बीमांकिक मूल्यांकन किया है। मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार, उनकी रिपोर्ट में निर्धारित परिणाम एएस 15 के पैरा 120 की आवश्यकताओं और योजना में इसके क्रियान्वयन पर आधारित हैं और एएस 15 की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए तैयार किए गए हैं:

- (क). (i). उपदान लाभ उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 या लागू सरकारी नियमों, जो भी अधिक हो, द्वारा शासित होते हैं।
- (ii). एएस 15 (आर) के पैरा 120 (ख) के अनुसार योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

योजना का प्रकार	रोजगार के बाद लाभ
कर्मचारी अंशदान	0%
नियोक्ता अंशदान	100%
वेतन परिभाषा	महंगाई भत्ता सहित अंतिम आहरित मूल वेतन (यदि कोई हो)
लाभ की अधिकतम सीमा	25,00,000 रुपये की लाभ सीमा लागू की गई थी
निहित शर्तें	5 साल की निरंतर सेवा (मृत्यु/विकलांगता के मामले में लागू नहीं)
सेवानिवृत्ति पर लाभ	$15/26 \times \text{वेतन} \times \text{सेवा की अवधि}$ या सेवानिवृत्ति लाभ नियम 50 (1) (ए) के अनुसार, जो भी अधिक हो
त्यागपत्र/आहरणों पर लाभ	बाहर निकलने तक सेवा के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ के समान
मृत्यु पर लाभ	सेवानिवृत्ति लाभ के समान लेकिन कोई निहित शर्त लागू नहीं होती है
सेवानिवृत्ति आयु *	60 एवं 65 वर्ष

* योजना की विशेषताओं में उल्लिखित सेवानिवृत्ति की आयु से अधिक आयु वाले कर्मचारियों के मामले में, सेवानिवृत्ति तुरंत मानी जाती है और मूल्यांकन तदनुसार किया जाता है।

राजेश
23

(iii). एएस 15 के पैरा 120 (ग) के अनुसार परिभाषित लाभ दायित्व का मिलान निम्नानुसार है:

(राशि रू. में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	1,19,59,155	1,02,36,459
दायित्व में/(से) अंतरण	-	-
वर्तमान सेवा लागत	6,80,062	7,54,791
ब्याज लागत	7,76,309	6,20,853
बीमांकिक हानि (लाभ)	6,71,608	3,47,052
पूर्व सेवा लागत	15,91,640	-
कटौतियों पर हानि (लाभ)	-	-
निपटानों पर पर देनदारियां समाप्त	-	-
खरीद की प्रकृति में एक समामेलन में परिकल्पित देनदारियां	-	-
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	-	-
भुगतान किए गए लाभ	(6,45,390)	-
परिभाषित लाभ दायित्व को बंद करना	1,50,33,384	1,19,59,155

(iv). उपदान लाभ देनदारियां वित्तपोषित नहीं हैं यानी उपदान लाभ योजना को चलाने के लिए कोई अलग ट्रस्ट नहीं बनाया गया है। तथापि, टीएएमपी की देयता के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, निधि को वार्षिक प्रेषण किया जाता है ताकि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक देयता को पूरा किया जा सके। निधियों को राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमाओं में निवेशित किया जाता है।

(v). एएस 15 के पैरा 120 (छ) के अनुसार लाभ और हानि खाते का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि रू. में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्तमान सेवा लागत	6,80,062	7,54,791
दायित्व पर ब्याज	7,76,309	6,20,853
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	-	-
निवल बीमांकिक हानि/(लाभ)	6,71,608	3,47,052
मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत-निहित	15,91,640	-

मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत-अनिहित	-	-
कटौतियों और निपटान पर हानि/(लाभ)	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय' में शामिल कुल	37,19,619	17,22,696

- पिछली सेवा लागत लाभ की अधिकतम सीमा 20,00,000 रुपये से 25,00,000 रुपये में परिवर्तन के कारण है।

(vi). एस 15 के पैरा 120 (झ) के अनुसार वित्तीय धारणाएं इस प्रकार हैं:

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
छूट दर	7.15% वार्षिक	7.45% वार्षिक
वेतन वृद्धि दर	9.00% वार्षिक	8.00% वार्षिक
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	लागू नहीं	लागू नहीं

(vii). एस 15 के पैरा 120 (ठ) के अनुसार अनुभव समायोजनों की तालिका:

(राशि रु. में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
परिभाषित लाभ दायित्व	1,50,33,384	1,19,59,155
योजना परिसंपत्तियां	-	-
अधिशेष/(घाटा)	(1,50,33,384)	(1,19,59,155)
योजना देनदारियों पर अनुभव समायोजन	(47,004)	2,24,649
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि/(लाभ)	7,18,612	1,22,403
जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि/ (लाभ)	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	-	-
वर्ष के लिए निवल बीमांकिक हानि/(लाभ)	6,71,608	3,47,052

र. र. र. र.

- (viii). उपदान की सीमा 25 लाख रुपये करने पर विचार किया गया है।
- (ख). (i). अर्जित छुट्टी लाभ टीएमपी की छुट्टी नीति द्वारा शासित होते हैं।
- (ii). एस 15 के पैरा 120 (ख) के अनुसार योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

योजना का प्रकार	अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ
कर्मचारी अंशदान	0%
नियोक्ता अंशदान	100%
नकदीकरण के लिए वेतन	टीएमपी नियमों के अनुसार
प्राप्ति के लिए वेतन	टीएमपी के लिए लागत
प्रतिवर्ष जमा होने वाली छुट्टी	30 दिन
छुट्टी विभाजक	30 दिन
अधिकतम संयचन	300 दिन (ईएल+एचपीएल)
सेवानिवृत्ति पर लाभ	अर्जित छुट्टी दिवस + न्यूनतम (अर्ध वेतन छुट्टी दिवस, 300-अर्जित छुट्टी दिवस) $\times 0.5$ \times (वेतन) / (छुट्टी विभाजक)
त्यागपत्र/आहरणों पर लाभ	सेवानिवृत्ति लाभ के समान
मृत्यु पर लाभ	सेवानिवृत्ति लाभ के समान
प्राप्ति पर लाभ	छुट्टी दिवस \times प्राप्ति वेतन / छुट्टी विभाजक
सेवानिवृत्ति आयु*	60 एवं 65 वर्ष

* योजना विशेषताओं में उल्लिखित सेवानिवृत्ति की आयु से अधिक आयु वाले कर्मचारियों के मामले में, सेवानिवृत्ति तुरंत मानी जाती है और मूल्यांकन तदनुसार किया जाता है।

- (iii). एस 15 के पैरा 120 (ग) के अनुसार परिभाषित लाभ दायित्व का मिलान निम्नानुसार है:

रा. र. र. र.

(राशि रू. में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	1,76,02,410	1,44,17,195
दायित्व में/(से) अंतरण	-	-
वर्तमान सेवा लागत	6,66,483	6,20,273
ब्याज लागत	11,58,864	8,63,938
बीमांकिक हानि (लाभ)	26,18,153	21,13,342
पूर्व सेवा लागत	-	-
कटौतियों पर हानि (लाभ)	-	-
निपटानों पर देनदारियां समाप्ति	-	-
खरीद की प्रकृति में एक समामेलन में परिकल्पित देनदारियां	-	-
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	-	-
भुगतान किया गया लाभ	(8,26,712)	(4,12,338)
अंत परिभाषित लाभ दायित्व	2,12,19,198	1,76,02,410

(iv). अर्जित छुट्टी लाभ देनदारियों को वित्तपोषित नहीं किया जाता है अर्थात अर्जित छुट्टी लाभ योजना को संचालित करने के लिए कोई अलग ट्रस्ट नहीं बनाया गया है। तथापि, टीएमपी के दायित्व के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, निधि को वार्षिक प्रेषण किया जाता है ताकि प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार देयता को पूरा किया जा सके। निधियों को एक राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा में निवेश किया जाता है।

(v). एस 15 के पैरा 57 (ग) के अनुसार लाभ और हानि खाते का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि रू. में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्तमान सेवा लागत	6,66,483	6,20,273
दायित्व पर ब्याज	11,58,864	8,63,938
योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ	-	-
निवल बीमांकिक हानि/(लाभ)	26,18,153	21,13,342
मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत-निहित	-	-

रा.र.मेश

कटौतियों और निपटान पर हानि/(लाभ)	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय' में शामिल कुल	44,43,500	35,97,553
पी एंड एल के लिए कुल प्रभार	44,43,500	35,97,553

(vi). एस 15 के पैरा 120 (ठ) के अनुसार अनुभव समायोजन की तालिका:

(राशि रु. में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
परिभाषित लाभ दायित्व	2,12,19,198	1,76,02,410
योजना परिसंपत्तियां	-	-
अधिशेष/(घाटा)	2,12,19,198	1,76,02,410
योजना देनदारियों पर अनुभव समायोजन	2,79,395	6,06,870
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि/(लाभ)	23,38,758	21,77,699
जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि/ (लाभ)	-	(6,71,227)
योजना परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	-	-
वर्ष के लिए निवल बीमांकिक हानि/(लाभ)	26,18,153	21,13,342

(xvi). वर्ष 2023-24 के दौरान विदेशी मुद्रा से संबंधित कोई लेनदेन नहीं हुए थे।

(xvii). अनुसूची संख्या 11 के अनुसार, "पूर्व अवधि मदों" की सूची संलग्न है।

(xviii). प्राधिकरण इंडियन ओवरसीज बैंक और भारतीय स्टेट बैंक की मुंबई शाखा में एक-एक बैंक खाता व्यवस्थित कर रहा है।

(xix). पिछले वर्षों के आंकड़ों की, जहां भी आवश्यक समझा गया, फिर से गणना की गई है, पुनः समूहित, पुनः व्यवस्थित और पुनः वर्गीकृत किया गया है।

रा. रमेश

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
मार्च 2024 माह के लिए बैंक मिलान विवरण

बैंक नाम:	इंडियन ओवरसीज बैंक
शाखा नाम:	फोर्ट शाखा
ग्राहक आईडी:	4827235
खाता प्रकार:	बचत बैंक खाता
बैंक खाता सं.	001401000008048
बैंक आईएफएससी कोड:	IOBA0000014
बैंक मिलान माह:	मार्च - 2024

टीएएमपी बही खाते के अनुसार 31/3/2024 को जमाशेष (23,37,307.70)

जोड़ें:

- | | |
|--|--------------|
| (i). मार्च 2024 माह के लिए अनुबंध कर्मचारियों को भुगतान। भुगतान अप्रैल, 2024 में किया गया। | 3,22,857.00 |
| (ii). मार्च 2024 माह के लिए कर्मचारी वेतन (सीपीएफ)। भुगतान अप्रैल, 2024 में किया गया। | 10,41,388.00 |
| (iii). मार्च 2024 माह के लिए कर्मचारी वेतन (एनपीएस)। भुगतान अप्रैल, 2024 में किया गया। | 11,17,305.00 |

क 1,44,242.30

घटायें:

- | | |
|---|-----------|
| (i). एमटीएनएल ईसीएस के लिए बैंक द्वारा डेबिट किया गया भुगतान, विल 31 मार्च, 2024 तक प्राप्त नहीं हुआ। | 15,511.00 |
|---|-----------|

ख 15,511.00

(क-ख) 1,28,731.30

बैंक विवरण 31/3/2024 के अनुसार जमाशेष 1,28,731.30

31/3/2024 तक मिलान के ब्योरे


दिनांक	विवरण	राशि
28.03.2024	एमटीएनएल ईसीएस के लिए बैंक द्वारा डेबिट किया गया भुगतान, विल 31 मार्च, 2024 तक प्राप्त नहीं हुआ।	15,511.00
28.03.2024	मार्च 2024 माह के लिए कर्मचारी वेतन (सीपीएफ)। भुगतान अप्रैल, 2024 में किया गया।	10,41,388.00
28.03.2024	मार्च 2024 माह के लिए कर्मचारी वेतन (एनपीएस)। भुगतान अप्रैल, 2024 में किया गया।	11,17,305.00
28.03.2024	मार्च 2024 माह के लिए अनुबंध कर्मचारियों को भुगतान। भुगतान अप्रैल, 2024 में किया गया।	3,22,857.00

मार्च 2024 के लिए लिक्विड जमा विवरण - 01 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024

दिनांक	विवरण	डेबिट राशि	क्रेडिट राशि
01.03.2024	प्रारंभिक जमाशेष 2023	19460000.00	
04.03.2024	लिक्विड जमा द्वारा	6570000.00	
05.03.2024	लिक्विड जमा द्वारा		30000.00
06.03.2024	लिक्विड जमा द्वारा		1720000.00
07.03.2024	लिक्विड जमा द्वारा		30000.00
11.03.2024	लिक्विड जमा द्वारा	20000.00	
12.03.2024	लिक्विड जमा द्वारा		20000.00
12.03.2024	लिक्विड जमा द्वारा		1630000.00
14.03.2024	लिक्विड जमा द्वारा		210000.00
15.03.2024	लिक्विड जमा द्वारा		4460000.00
18.03.2024	लिक्विड जमा द्वारा	4140000.00	
19.03.2024	लिक्विड जमा द्वारा		20000.00
20.03.2024	लिक्विड जमा द्वारा		4120000.00
20.03.2024	लिक्विड जमा द्वारा		1790000.00
21.03.2024	लिक्विड जमा द्वारा		190000.00
25.03.2024	लिक्विड जमा द्वारा	20000.00	
26.03.2024	लिक्विड जमा द्वारा		20000.00
26.03.2024	लिक्विड जमा द्वारा		110000.00
28.03.2024	लिक्विड जमा द्वारा		80000.00
	जोड़	30210000.00	14430000.00
	31 मार्च 2024 के लिए अंत जमाशेष		15780000.00



लेखा कार्यपालक- (प्रतीक)



उ.नि/आ.सं.अ-(ते.सिं)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

बैंक नाम:	भारतीय स्टेट बैंक
शाखा नाम:	मझगांव शाखा
खाता प्रकार:	चालू बैंक खाता
बैंक खाता सं.	10005255712
बैंक आईएफएससी कोड:	SBIN0009054
बैंक मिलान माह:	मार्च 2024

टीएएमपी बैंक बही खाते के अनुसार 31-03-2024 को जमाशेष 1,16,751.70

जोड़ें:

-

क

1,16,751.70

घटायें:

-

ख

1,16,751.70

31.3.2024 को बैंक विवरण के अनुसार जमाशेष


1,16,751.70

31/03/2024 तक मिलान के विवरण

दिनांक	विवरण	राशि
	कुल	-



लेखा कार्यपालक- (प्रतीक)



उ.नि/आ.सं.अ-(ते.सिं)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
ईएल नकदीकरण और उपदान निधि खाता
31 मार्च 2024 को तुलन पत्रक



राशि रु. में

देयताएं	2023-24	2022-23	परिसंपत्तियां	2023-24	2022-23
ईएल नकदीकरण निधि (क)			निवेश (क)		
प्रारंभिक जमाशेष	1,76,02,410	1,44,17,195	आईओबी में सावधि जमाराशियां	3,25,89,905	2,85,98,905
जोड़ें: वर्ष के दौरान अंशदान	29,66,928	24,56,790	एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	28,69,353	12,28,377
जोड़ें: निधियों का अंतरण	6,49,860	7,28,425	जोड़	3,54,59,258	2,98,27,282
घटायें: वर्ष के लिए निपटान	2,12,19,198	1,76,02,410	वर्तमान परिसंपत्तियां (ख)		
	-	-	ऋण और अग्रिम - कर्मचारी	-	-
	2,12,19,198	1,76,02,410			
उपदान निधि (ख)					
प्रारंभिक जमाशेष	1,19,59,155	1,02,36,459			
जोड़ें: वर्ष के दौरान अंशदान	26,32,712	12,05,502			
जोड़ें: आंतरिक निधियां	4,41,517	5,17,194			
घटायें: वर्ष के लिए निपटान	1,50,33,384	1,19,59,155			
	-	-			
	1,50,33,384	1,19,59,155	बैंक जमाराशि (ग)	1,64,070	7,422
आय एवं व्यय खाता (ग)					
प्रारंभिक जमाशेष	2,73,139	5,64,074			
वर्ष के लिए अधिशेष/(घाटा)	1,88,984	9,54,684			
पूर्व वर्ष अधिशेष/(घाटा)	(2,73,139)	(5,64,074)			
आंतरिक निधियां	(8,18,238)	(6,81,545)			
	(6,29,254)	2,73,139			
जोड़ (क+ख+ग)	3,56,23,328	2,98,34,704	जोड़ (क+ख+ग)	3,56,23,328	2,98,34,704

रा. रमेश
उ.नि./आ.सं.अ

ज्योति
निदेशक (ज्यो. वें)

वी. ल.
सदस्य (वित्त)

मुंबई, 28 जून 2024

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
ईएल नकदीकरण और उपदान निधि खाता
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता



राशि रु. में

विवरण	2023-24	2022-23	विवरण	2023-24	2022-23
व्यय			आय		
बैंक प्रभार	-	9,814	बचत खाता पर ब्याज	3,957	684
कर्मचारियों को भुगतान किया गया ईएल नकदीकरण	8,26,712	4,12,338	एफडीआर पर ब्याज	16,57,129	14,04,311
कर्मचारियों को भुगतान किया गया उपदान	6,45,390	-			
कर्मचारी से ईएल वसूली	-	28,159			
	14,72,102	4,50,311		16,61,086	14,04,995
व्यय पर आय की अधिकता	1,88,984	9,54,684			
जोड़	16,61,086	14,04,995	जोड़	16,61,086	14,04,995

रा-रमेश
उ.नि./आ.सं.अ

ज्योति
निदेशक (ज्यो. वें)

काल
सदस्य (वित्त)


मुंबई, 28 जून 2024

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
ईएल नकदीकरण और उपदान निधि खाता
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान खाता




Amount in ₹

प्राप्तियां	2023-24	2022-23	भुगतान	2023-24	2022-23
<u>प्रारंभिक जमाशेष</u> बचत बैंक खाता	7,422	13,243	<u>किए गए निवेश और जमाराशियां</u> बैंक में सावधि जमाराशियां	60,95,000	1,59,14,000
<u>निवेश और परिपक्व जमाराशियां</u>	21,04,000	1,19,03,200	<u>अन्य भुगतान</u> बैंक प्रभार टीएएमपी को वापिस की गई राशि	-	9,814
<u>अन्य आय</u> एफडीआर पर ब्याज बचत बैंक खाता पर ब्याज	16,153 3,957	7,64,155 684	<u>निधि निपटान</u> उपदान निधि वर्ष के दौरान भुगतान किया गया ईएल नकदीकरण	6,45,390 8,26,712	-
<u>अन्य प्राप्तियां</u> टीएएमपी से प्राप्त अंशदान	68,07,953	42,24,370	<u>अंत जमाशेष</u> बचत बैंक खाता	1,64,070	7,422
जोड़	89,39,485	1,69,05,652	जोड़	89,39,485	1,69,05,652


 उ.नि./आ.सं.अ


 निदेशक (ज्यो. वें)


 सदस्य (वित्त)

मुंबई, 28 जून 2024

टीएमपी कर्मचारी उपदान निधि खाता

बैंक का नाम:	इंडियन ओवरसीज बैंक
शाखा का नाम:	फोर्ट शाखा
ग्राहक आईडी:	4827235
खाता प्रकार:	बचत बैंक खाता
बैंक खाता सं.:	01401000096077
बैंक आईएफएससी कोड:	IOBA0000014
बैंक समाधान माह:	मार्च 2024

टीएमपी उपदान बैंक बही के अनुसार 31.03.2024 को जमाशेष

1,64,069.76

जोड़ें:

एनईएफटी पत्र जो जारी किए गए परंतु डेबिट नहीं

-

क

1,64,069.76

घटायें:

एनईएफटी पत्र/जमा किए गए बैंक परंतु प्रस्तुत नहीं किए गए

-

ख


1,64,069.76

बैंक पास बुक 31.03.2024 के अनुसार जमाशेष

1,64,069.76



लेखा कार्यपालक - (प्रतीक)



उ.नि./आ.सं.अ (ते. सिं)

31.03.2024 को इंडियन ओवरसीज बैंक, फोर्ट शाखा, मुंबई में टीएमपी कर्मचारी उपदान निधि खाता से संबंधित सावधि जमा राशियों के ब्योरे								
क्र.सं.	ब्योरे	निवेश की तिथि	प्रमाणपत्र सं.	निवेश की राशि	निवेश की अवधि	ब्याज की दर	परिपक्वता की तिथि	परिपक्वता पर राशि
1	EL/001	17.07.2021	2014/NDRR 0899620	17,99,905	3 वर्ष 1 दिन	5.20%	18.07.2024	21,01,962
2	EL/002	16.03.2022	2019/NDRW 0337608	26,00,000	3 वर्ष 2 दिन	5.45%	18.03.2025	30,59,361
3	EL/003	28.03.2022	2019/NDRW 0337653	24,37,000	3 वर्ष 1 दिन	5.45%	29.03.2025	28,67,135
4	EL/004	28.03.2022	2019/NDRW 0337656	11,47,000	3 वर्ष 1 दिन	5.45%	29.03.2025	13,49,448
5	EL/005	13.06.2022	2019/NDRW 0788160	11,15,000	3 वर्ष 1 दिन	5.60%	14.06.2025	13,17,641
6	EL/006	26.08.2022	2021/NDRX 0230177	10,60,000	3 वर्ष 1 दिन	5.70%	27.08.2025	12,56,359
7	EL/007	05.11.2022	2021/NDRX 0230230	11,35,000	1000 दिन	6.00%	01.08.2025	13,36,268
8	EL/008	18.03.2023	2021/NDRX 0234666	21,58,000	444 Days	7.00%	03.06.2024	23,47,673
9	EL/009	21.03.2024	2023/NDRY 0625542	20,00,000	444 Days	7.30%	08.06.2025	21,84,016
10	EL/010	21.03.2024	2023/NDRY 0625543	8,15,000	444 Days	7.30%	08.06.2025	8,89,987
उप जोड़ क - अजित छुट्टी				1,62,66,905				1,87,09,850
11	GRA/001	28.03.2022	2019/NDRW 0337655	16,81,000	3 वर्ष 1 दिन	5.45%	29.03.2025	19,77,700
12	GRA/002	29.03.2022	2019/NDRW 0337664	19,60,000	3 वर्ष 1 दिन	5.45%	30.03.2025	23,05,944
13	GRA/003	14.07.2022	2021/NDRX 0229929	70,40,000	3 वर्ष 1 दिन	5.60%	15.07.2025	83,19,452
14	GRA/004	17.07.2022	2021/NDRX 0229947	23,62,000	3 वर्ष 1 दिन	5.60%	18.07.2025	27,91,271
15	GRA/005	16.05.2023	2021/NDRX 0599935	1,50,000	444 दिन	7.25%	02.08.2024	1,63,671
16	GRA/006	16.05.2023	2021/NDRX 0599936	1,50,000	444 दिन	7.25%	02.08.2024	1,63,671
17	GRA/007	20.06.2023	2021/NDRX 0600035	3,50,000	444 दिन	7.25%	06.09.2024	3,81,900
18	GRA/008	21.03.2024	2023/NDRY 0625544	20,00,000	444 दिन	7.30%	08.06.2025	21,84,016
19	GRA/009	21.03.2024	2023/NDRY 0625545	6,30,000	444 दिन	7.30%	08.06.2025	6,87,965
उपजोड़ ख- उपदान				1,63,23,000				1,89,75,590
जोड़				3,25,89,905				3,76,85,440

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
टीएमपी कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि
31 मार्च 2024 के अनुसार तुलन पत्रक



राशि रु. में

देयताएं	2023-24	2022-2023	परिसंपत्तियां	2023-24	2022-2023
आरक्षित निधि (क)			निवेश (क)		
प्रारंभिक जमाशेष	2,43,88,917	2,13,54,212	आईओबी में सावधि जमाशियां	2,65,01,716	2,29,96,716
जोड़ें: कर्मचारी अंशदान	18,42,636	13,47,478	एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	23,31,446	10,04,684
जोड़ें: नियोक्ता अंशदान	13,52,636	11,45,892			
जोड़ें: सीपीएफ ओ/एस बकाया पर ब्याज और अन्य	18,02,235	15,73,335	वर्तमान परिसंपत्तियां (ख)		
	2,93,86,424	2,54,20,917	ऋण और अग्रिम	40,000	-
घटायें: वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति निपटान/आहरण जोड़	2,00,000	10,32,000			
	2,91,86,424	2,43,88,917	बैंक जमाशेष (ग)		
			इंडियन ओवरसीज बैंक	7,488	5,560
वर्तमान देयताएं (ख)			आय एवं व्यय लेखा (घ)		
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण	209	209	शेष बी/एफ	3,82,166	3,30,351
			जोड़ें: आय पर व्यय की अधिकता	3,05,983	3,82,166
			घटायें: वर्ष के दौरान अंशदायित राशि	3,82,166	3,30,351
				3,05,983	3,82,166
जोड़ (क +ख)	2,91,86,633	2,43,89,126	जोड़ (क+ख+ग+घ)	2,91,86,633	2,43,89,126

रा. रमेश
उ.नि./आ.सं.अ

मुंबई, 28 जून 2024

ज्योति
निदेशक (ज्यो. वें)

क।व।
सदस्य (वित्त)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
टीएमपी कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा



राशि रु. में

विवरण	2023-24	2022-2023	विवरण	2023-24	2022-2023
व्यय			आय		
बैंक प्रभार	-	71	बचत खाते पर व्याज	5,578	2,802
सदस्यों के सीपीएफ बकाया पर व्याज और अन्य	18,02,235	15,73,302	एफडीआर पर व्याज	14,90,674	11,88,405
			आय पर व्यय की अधिकता	3,05,983	3,82,166
जोड़	18,02,235	15,73,373	जोड़	18,02,235	15,73,373

रा. रमेश
 उ.नि./आ.सं.अ

मुंबई, 28 जून 2024

ज्योति
 निदेशक (ज्यो. वें)

वी. व.
 सदस्य (वित्त)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
टीएएमपी कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा



राशि रु. में

प्राप्तियां	2023-24	2022-2023	भुगतान	2023-24	2022-2023
<u>प्रारंभिक जमाशेष</u>			<u>निवेश और जमाराशियां</u>		
बचत बैंक खाता	5,560	7,427	सावधि जमाराशियां	59,74,000	1,68,36,000
<u>निवेश और जमाराशियां</u>			ऋण और अग्रिम	60,000	-
परिपक्व सावधि जमाराशियां	24,69,000	1,41,26,000	<u>अन्य भुगतान</u>		
ऋण और अग्रिम	20,000	20,000	बैंक प्रभार	-	71
प्राप्त एफडीआर ब्याज	1,63,912	8,93,648	वर्ष के दौरान पीएफ आहरण	2,00,000	10,32,000
बचत बैंक जमाराशि ब्याज	5,578	2,802	टीएएमपी को भुगतान की गई राशि	20,000	-
<u>अन्य आय</u>					
टीएएमपी से प्राप्त राशि	4,02,166	3,30,351	<u>अंत जमाशेष</u>		
<u>अन्य प्राप्ति</u>			बचत बैंक खाता	7,488	5,560
नियोक्ता और कर्मचारी अंशदान	31,95,272	24,93,403			
जोड़	62,61,488	1,78,73,631	जोड़	62,61,488	1,78,73,631

उ.नि./आ.सं.अ

निदेशक (ज्यो. वें)

सदस्य (वित्त)

मुंबई, 28 जून 2024

टीएमपी कर्मचारी सीपीएफ न्यास खाता

बैंक नाम:	इंडियन ओवरसीज बैंक
शाखा का नाम:	फोर्ट शाखा
ग्राहक आईडी:	4827235
खाता प्रकार:	बचत बैंक खाता
बैंक खाता सं.:	01401000093967
बैंक आईएफएससी कोड:	IOBA0000014
बैंक समाधान माह:	मार्च 2024

टीएमपी सीपीएफ बैंक बही के अनुसार 31.03.2024 को जमाशेष 7,488.05

जोड़ें:

क

7,488.05

घटायें:

एनईएफटी पत्र/चैक जो जमा किया गया परंतु प्रस्तुत नहीं किया गया
ख

7,488.05

बैंक पास बुक 31.03.2024 के अनुसार जमाशेष

7,488.05

प्रतिक

लेखा कार्यपालक (प्रतिक)

तेजल

उ.नि / आ.सं.अ (ते.सिं)

31.03.2024 को इंडियन ओवरसीज बैंक, फोर्ट शाखा, मुंबई में टीएएमपी कर्मचारी सीपीएफ निधि खाता से संबंधित सावधि जमाराशियों के विवरण								
क्र.सं.	निवेश की तारीख	प्रमाणपत्र सं.	नाम/संस्थान जहां निवेश किया गया	निवेश की राशि	निवेश की अवधि	ब्याज की दर	परिपक्वता की तारीख	परिपक्वता की राशि
1	20.07.2021	2014/NDRR/0899637	आईओबी, फोर्ट मुंबई	4,65,282	3 वर्ष 1 दिन	5.20%	21.07.2024	5,43,365
2	22.09.2021	2014/NDRR/0899890	आईओबी, फोर्ट मुंबई	6,73,434	3 वर्ष 1 दिन	5.20%	23.09.2024	7,86,448
3	16.03.2022	0014/NDRW/0337607	आईओबी, फोर्ट मुंबई	10,30,000	3 वर्ष 2 दिन	5.45%	18.03.2025	1211978
4	21.03.2022	0014/NDRW/0337633	आईओबी, फोर्ट मुंबई	11,58,000	3 वर्ष 2 दिन	5.45%	23.03.2025	1362592
5	29.03.2022	2019/NDRW/0337665	आईओबी, फोर्ट मुंबई	12,00,000	3 वर्ष 1 दिन	5.45%	30.03.2025	1411802
6	13.06.2022	2019/NDRW 0788159	आईओबी, फोर्ट मुंबई	16,80,000	3 वर्ष 1 दिन	5.60%	14.06.2025	1985324
7	14.07.2022	2021/NDRX 0229928	आईओबी, फोर्ट मुंबई	84,38,000	3 वर्ष 1 दिन	5.60%	15.07.2025	9971526
8	17.07.2022	2021/NDRX 0229946	आईओबी, फोर्ट मुंबई	24,61,000	3 वर्ष 1 दिन	5.60%	18.07.2025	2908263
9	23.09.2022	2021/NDRX 0234744	आईओबी, फोर्ट मुंबई	6,75,000	1000 दिन	6.00%	19.06.2025	794697
10	29.09.2022	2021/NDRX 0234751	आईओबी, फोर्ट मुंबई	5,12,000	1000 दिन	6.00%	25.06.2025	602792
11	05.11.2022	2021/NDRX 0230231	आईओबी, फोर्ट मुंबई	4,75,000	1000 दिन	6.00%	01.08.2025	559231
12	16.03.2023	2021/NDRX 0234661	आईओबी, फोर्ट मुंबई	3,80,000	444 दिन	7.00%	02.06.2024	413399
13	18.03.2023	2021/NDRX 0234668	आईओबी, फोर्ट मुंबई	13,80,000	444 दिन	7.00%	03.06.2024	1501292
14	13.04.2023	2021/NDRX 0599828	आईओबी, फोर्ट मुंबई	22,10,000	444 दिन	7.25%	30.06.2024	2411425
15	29.04.2023	2021/NDRX 0599880	आईओबी, फोर्ट मुंबई	3,50,000	444 दिन	7.25%	16.07.2024	381900
16	12.06.2023	2021/NDRX 0599998	आईओबी, फोर्ट मुंबई	3,00,000	444 दिन	7.25%	29.08.2024	327343
17	25.10.2023	2021/NDRX 0963628	आईओबी, फोर्ट मुंबई	4,00,000	444 दिन	7.25%	11.01.2025	436457
18	12.01.2024	2023/NDRY 0618251	आईओबी, फोर्ट मुंबई	3,70,000	444 दिन	7.10%	31.03.2025	403001
19	15.03.2024	2023/NDRY 0625533	आईओबी, फोर्ट मुंबई	11,72,000	444 दिन	7.30%	02.06.2025	1279834
20	15.03.2024	2023/NDRY 0625534	आईओबी, फोर्ट मुंबई	11,72,000	444 दिन	7.30%	02.06.2025	1279834
जोड़				2,65,01,716				3,05,72,503

वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक लेखा और लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

1. परिचय

महापत्तन न्यासों और वहां पर निजी टर्मिनलों द्वारा वसूल किए जाने वाले प्रशुल्क निर्धारित और संशोधित करने के लिए स्वतंत्र महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के लिए महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 को पत्तन विधि (संशोधन) अधिनियम 1997 (1997 का 15) द्वारा संशोधित किया गया था। उपर्युक्त प्रयोजन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन 10 अप्रैल 1997 को नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ किया गया था। महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण का मुख्यालय 8 नवंबर 2002 से नई दिल्ली से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया है। प्राधिकरण तिमाही आधार पर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान से अपना पूरा खर्च वहन करता है।

महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021, 3 नवंबर 2021 से लागू हो गया है। परिणामस्वरूप, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 को निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण अब महापत्तनों या वहां प्रचालनरत निजी प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए प्रशुल्क निर्धारित नहीं करता है।

महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 54 (1) के तहत पहले परंतुक के अनुसार, अधिनिर्णयन बोर्ड के गठन तक, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण उक्त अधिनियम के तहत न्यायिक बोर्ड के कार्यों का निर्वहन करेगा और न्यायिक बोर्ड के गठन के तुरंत बाद अस्तित्व में नहीं रहेगा। महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 54 के तहत निर्णायक बोर्ड का गठन किया जाना है।

2. वित्तीय स्थिति:

वर्ष 2023-24 के दौरान, सरकार से 900.00 लाख रुपये का सहायता-अनुदान प्राप्त था, जबकि पिछले वर्ष यह 875.00 लाख रुपये था। वर्ष के दौरान कुल व्यय 896.00 लाख रुपए था जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 874.00 लाख रुपए था।

3. परिसंपत्तियां और देनदारियां:

पिछले दो वर्षों के लिए व्यापक शीर्षों के तहत महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण की परिसंपत्तियां और देनदारियां निम्नानुसार हैं:

विवरण	(रु. लाखों में)	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
क. देयताएं		
पूंजी आरक्षित निधियां	69.73	72.16
वर्तमान देयताएं	136.34	131.15
आस्थगित सरकारी अनुदान	55.42	37.05
ख. परिसंपत्तियां		
अचल परिसंपत्तियां	55.42	37.05
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	206.07	203.31

4. सामान्य आरक्षित निधि:

चूंकि प्राधिकरण अपने व्यय को सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से पूरा करता है और उपलब्ध अधिशेष, यदि कोई हो, को अगले वर्ष के लिए सहायता अनुदान के साथ समायोजित किया जाता है, इसलिए सामान्य आरक्षित निधि के सृजन का प्रश्न ही नहीं उठता।

5. पूंजीगत ऋण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, प्राधिकरण ने सरकार या किन्हीं अन्य संगठनों से कोई ऋण नहीं लिया है।